GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.275
TO BE ANSWERED ON THE 29TH MARCH, 2022

OUTSTANDING DUES TO PRIVATE HOSPITALS UNDER CGHS

275 SHRI DEREK O' BRIEN:

Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY WELFARE** be pleased to state:

(a) the amount of outstanding dues that Government owes to private hospitals under Central Government Health Scheme (CGHS);

(b) the last time when pricing of these health care services under the scheme was done and whether Government has plans to revise it; and

(c) the details of the budgetary allocation for CGHS?

ANSWER
THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DR MANSUKH MANDAVIYA)

(a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 275* FOR 29TH MARCH, 2022

Settlement of CGHS Bills is a continuous and dynamic process. During the current financial year 2021-22, claims of empaneled Health Care Organizations (HCOs) amounting to Rs. 1330 crore are settled. Bills amounting to Rs. 1343 crore are received from empaneled HCOs for payment.

CGHS package rates were last fixed on 01.10.2014 for Delhi/ NCR and in 2015 for other cities. Revision of CGHS package rates is a continuous process and the rates for new procedures/ investigations, which are added to the scheme from time to time, are fixed on the recommendations of Expert Committee(s).

An amount of Rs. 4463.94 crore [Revenue: Rs. 1690.06 crore, Capital: Rs. 23.88 crore and Pension and Other Retirement Benefits (PORB): Rs. 2750 crore] is allocated in Revised Estimates (RE) 2021-22 for CGHS.

*****

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *275
दिनांक 29 मार्च, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन निजी अस्पतालों को देय बकाया राशि

***275. श्री देरेक ओब्राईन:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अधीन सरकार पर निजी अस्पतालों की कितनी देय राशि बकाया है;
(ख): इस योजना के अधीन इन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का अंतिम बार मूल्य निर्धारण कब किया गया था और क्या सरकार की इसे संशोधित करने की योजना है; और
(ग): सीजीएचएस के लिए किए गए बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 29 मार्च, 2022 के लिए निर्धारित राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *275 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

***

सीजीएचएस बिलों का भुगतान एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है। वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, पैनलबद्ध स्वास्थ्य परिचर्या संगठनों (एचसीओ) के 1330 करोड़ रूपए के दावों का भुगतान किया गया। पैनलबद्ध एचसीओ से 1343 करोड़ रूपए के बिल भुगतान हेतु प्राप्त हुए हैं।

सीजीएचएस पैकेज दरों को दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए अंतिम बार दिनांक 1.10.2014 को तथा अन्य शहरों के लिए वर्ष 2015 में निर्धारित किया गया था। सीजीएचएस पैकेज दरों में संशोधन एक निरंतर प्रक्रिया है तथा समय-समय पर स्कीम में जोड़ी जाने वाली नई प्रक्रियाओं/अन्वेषणों के लिए दरों का निर्धारण विशेषज्ञ समिति (समितियों) की सिफारिशों पर किया जाता है।

सीजीएचएस के लिए संशोधित अनुमानों (आरई) वर्ष 2021-22 में 4463.94 करोड़ रूपए की धनराशि [राजस्व:1690.06 करोड़ रूपए, पूंजी: 23.88 करोड़ रूपए तथा पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (पीओआरबी): 2750 करोड़ रूपए] आवंटित की गई है।

*****

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, my question is on the Central Government Health Scheme. The hon. Minister has answered paying of bills is a continuous and dynamic process. So, since the Minister of State for Health is a lady, I was wondering whether as a part of this continuous and dynamic process, she actually convinces his male colleagues to make all these cards in the name of the woman of the house.

My supplementary question is this. There are many reports that 175 health care organizations are refusing to honour and clear the CGHS bills of ex-servicemen. It is my question and humble appeal as well, what steps the Minister is going to take so that the medical bills of ex-servicemen are honoured.

डा. मनसुख मांडविया : माननीय उपसभापति महोदय, सीजीएचएस कार्ड होल्डर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, ट्रीटमेंट उपलब्ध कराना भारत सरकार की जिम्मेवारी है। अगर माननीय सदस्य के संज्ञान में इस तरह का कुछ है कि इस टाइप के एक्स-सर्विसमेन को सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई है, तो वे इसको मेरे ध्यान में लाएं, मैं उसको देख लूँगा।

SHRI DEREK O'BRIEN: Thank you, hon. Minister, for that assurance. Then, there is another group of people who is having the same problem. They are having problem everywhere because that group of people is not even being allowed into Parliament, these days. Only twenty are allowed, against the allowed 150 person. You were once also a journalist. So, you can understand their pain.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, you were also a journalist. So, you can very well understand their pain. The medical bills of many elderly and senior journalists are getting stuck. What is the Ministry doing to ensure that these senior retired journalists are taken care of by the CGHS?

डा. मनसुख मांडविया : माननीय उपसभापति महोदय, जो सीजीएचएस कार्ड होल्डर्स हैं, चाहे वे पत्रकार हों या retired employees हों, उन सभी के लिए सीजीएचएस कार्ड के तहत सर्विस उपलब्ध हो, उनको ट्रीटमेंट मिले, उसके लिए हम हमेशा कार्यरत हैं। हाँ, short time के लिए एक दिक्कत आई थी, जिसके बारे में यहाँ बताया गया कि उसके पेमेंट में delay हो रहा है। जब COVID crisis चालू हुआ, तो उस स्थिति में सीजीएचएस सेंटर्स पर काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, उनको replace करना पड़ा था, उनको दूसरी जगहों पर काम देना पड़ा था, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स आदि जगहों पर काम देना पड़ता था। जब वे ऐसी जगहों पर काम करते थे, उस वक्त हमने उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाने के लिए फ्री किया था और वहाँ से जो बिल आते थे, हम उसको reimburse करते थे। हमने ऐसा करके उनके claims को जल्द-से-जल्द निपटाने की हर संभव कोशिश की है और भविष्य में सीजीएचएस कार्ड होल्डर्स को हर तरह का ट्रीटमेंट अच्छी तरह मिले, सुविधा अच्छी तरह से मिले, इसके लिए हम सेंटर्स भी बढ़ा रहे हैं। पहले सीजीएचएस

सेंटर्स की सुविधा केवल 75 सिटीज़ में थी, वह आज बढ़ कर 81 सिटीज़ में हो चुकी है। हम हर दो महीने में यह देखते रहते हैं कि इनके लिए बेड के पैकेज में क्या बढ़ोतरी करनी है, कौन-सा पैकेज डालना है, क्योंकि समय के साथ ट्रीटमेंट बदलता रहता है, प्रोटोकॉल बदलता रहता है, नई मेडिसिन भी आती रहती है। ऐसी स्थिति में पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट मिले, उसके लिए भी हम उसमें permanent amendment करते रहते हैं, जिसका लाभ सीजीएचएस लाभार्थी को होता है।

SHRI ANAND SHARMA: Mr. Deputy Chairman, Sir, through you, I want to draw the attention of the hon. Health Minister as well as this House to the continuous decline in the health care facilities provided to the CGHS cardholders even in the National Capital and in other major cities across the country. Because most of the major hospitals have withdrawn from the CGHS panel. Not even a single hospital in National Capital Territory of Delhi is there, if you go by the list, hon. Deputy Chairman, on the list of empanelled hospitals. If you look at the list, nobody knows about the location, nobody has heard of those hospitals. The private hospitals are given land whether in Delhi or elsewhere and they are also given licence. Though it is a State subject, there are certain conditions that are attached that they will have to accept even a particular percentage of people from the weaker sections, which is not happening. The CGHS cardholders not being accepted by major hospitals is a serious matter. Will the hon. Minister assure the House that it should be mandatory? How can the private hospitals just make profit and not accept the CGHS cardholders?

डा. मनसुख मांडविया : उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उसमें विषय यह है कि जो सीजीएचएस कार्ड होल्डर्स हैं, उन्हें best treatment मिलना चाहिए। उन्हें कभी-कभी बड़े हॉस्पिटल्स और पैनल हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट नहीं देते हैं या छोड़ देते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, हम किसी विषय से भागने वाले लोग नहीं हैं। प्रधान मंत्री जी ने यह effort किया है कि न केवल सीजीएचएस कार्ड होल्डर्स, बल्कि गरीब से गरीब लोगों को best heath treatment मिलना चाहिए, इसलिए यह हमारी प्रतिबद्धता है। यह प्रश्न पैनल हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स के बारे में पूछा गया है। मैं इस बात को ignore नहीं करूँगा, बल्कि मैं यह कहूँगा कि यह हमारे संज्ञान में भी आया है, लेकिन संज्ञान में आने के बाद हमने इस विषय को छोड़ा नहीं है, बल्कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ले रहे हैं, पैकेज में क्या चेंज करने की आवश्यकता है और बड़े हॉस्पिटल्स उन्हें ignore क्यों कर रहे हैं, इस बारे में हमने detailed अध्ययन किया है। हमें grievance में जो भी इश्यूज़ मिलते हैं, हम उन्हें देखते हैं, उनके ऊपर अभ्यास करते हैं। इसके साथ ही, मैंने पैनल हॉस्पिटल के साथ दो बार विशेष consultation किया है कि ऐसी स्थिति क्यों हुई है और हमें उनसे जो सुझाव मिला है, हम उस सुझाव को लेकर इसे दुरुस्त कर रहे हैं, साथ ही, best से best treatment मिले, इसे लेकर हम अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।

SHRI M. SHANMUGAM: Mr. Deputy Chairman, Sir, I want to know this from the hon. Minister. The life-saving medicines like chemo for cancer and equipment like stent and ballooning for the heart patients are imported from abroad. The selling prices of the drugs are very much higher than the imported price. It is not affordable by the poor people. Will the Minister take action to reduce the prices to help the poor people?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question relates to CGHS.

डा. मनसुख मांडविया : माननीय उपसभापति महोदय, यह विषय इस क्वेश्चन के अंतर्गत तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए मैं इसका रिप्लाई देना चाहूँगा। हमें कैंसर की medicine विदेश से लानी पड़ती है और अब इंडिया भी कैंसर की medicine बनाने में सक्षम हो गया है। हमने पीएलआई स्कीम इंट्रोड्यूस की, उसमें कई ऐसे एपीआई, जो कैंसर की medicine बनाने में उपयोगी होते थे, वे भी इंडिया में manufacture होना चालू हो चुके हैं और medicine बनने लगी है। इसके अलावा, हमारी आवश्यकता के अनुसार हम इसे विदेश से भी import करते हैं। कैंसर की ऐसी 44 medicines थीं, जो costly थीं, उनके बहुत दाम हुआ करते थे, हमने ऐसी 44 medicines का trade margin fix किया है, ताकि कोई ज्यादा प्राइस न ले। First lending तब होती है, जब manufacturer distributor को बेचता है और जब distributor market में बेचता है, तब उसका जो एमआरपी होता है, वह first sale से 60 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा trade margin fix करने से कैंसर की medicine का दाम बहुत गिर गया है, बहुत कम हो गया है और इसका लाभ देश के कैंसर पीड़ित लोगों को मिल रहा है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri A. Vijayakumar. The question relates to CGHS.

SHRI A. VIJAYAKUMAR: Sir, there are so many multi-speciality hospitals throughout India. My question to the hon. Minister is whether all the multi-speciality hospitals are under the control of CGHS.

डा. मनसुख मांडविया : माननीय उपसभापति महोदय, सभी नहीं होते हैं। एक पैनल बनता है, उसके लिए एक प्रोसेस है और उसमें जो इच्छुक है, वही बन सकता है। जो इच्छुक नहीं है, अगर हम उसके लिए compulsory कर दें, तो वहाँ अच्छा treatment नहीं मिल पाएगा, इसलिए यह पैनल के अनुसार होता है।

श्री उपसभापति : प्रश्न संख्या 276.